न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 32/2019
GCMS CASE NO-2019/00014

1 रमन कुमार पुत्र श्री गौराराम जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न. 33 बसन्त बिहार कॉलोनी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. सतेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न. 13 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सुरेन्द्र पुत्र यशपाल गोयल जाति अरोड़ा साकिन वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. राजेश कुमार पुत्र जयलाल गोयल जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. आशारानी पत्नी राजेश कुमार जाति अग्रवाल साकिन वार्ड न. 11 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. नन्दलाल पुत्र श्री दुलीचन्द जाति ब्राहम्ण साकिन दुलमानी (पीलीबंगा) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1.श्री शीशपाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री राकेश मनचंदा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05

3. तहसीलदार सूरतगढ जरिये राजपैरोकार रेस्पोडेंट संख्या 6

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.07.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य निम्न हैः–

1. यह है कि अदालत मातहत तहसीलदार (भू. अभिलेख) सुरतगढ का निर्णय दिनांक 22.05.2017 खिलाफ कानून, खिलाफ रिकॉर्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।
2. यह है कि अपीलांट व उतरवादी न. 1 ता 5 के नाम से रोही उदयपुरा सादानी के खसरा न. 24/5 के 4.915 हैक. बारानी रकबा जिसमें अपीलांट के नाम से 0.506 हैक. व उतरवादी न. 1 के नाम से 0.506 हैक. उतरवादी न. 2 के नाम से .253 हैक. उतरवादी न. 3 के नाम से .759 [illegible] के नाम से .614 हैक. व उतरवादी न. 5 के नाम से 2.277 हैक. रक[illegible] दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा [illegible] के दोनो और स्थित है। अपील आदेश में खाता [illegible] शपथ प[illegible]ट की उपस्थिती में कतई [illegible] भाजन का नक्शा में अ[illegible] को दिये जाने वाले रकबा का रंग रकबा में दुसरा भरा है व रगों के संकेत में [illegible] दुसरा भरा है ताकी अपीलाट को सही जानकारी ना हो इस खाता विभाजन आदेश में जहां अपीलाट का कब्जा मौका स्थिती से विपरीत दिखाया है, अपीलांट का कब्जा मौका पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

रिक्त जिला कलक्टर
गढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

रेलवे लाईन से लेकर राष्ट्रीय राज मार्ग तक एक जैसी चौडाई में आयाताकार है जबकि जैर अपील आदेश में अपीलाट का रकबा दक्षिणी दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग से चिपता खसरा न. 24/4 के पश्चिम में दिखाया है जबकि अपीलांट का तमाम रकबा इस रोही के खसरा न. 24/1 के सामने आयाताकार है इसलिए मातहत् न्यायालय का खाता विभाजन का निर्णय मौका स्थिती से भिन्न होने से लायक निरस्ती के है। अपीलांट आदेश का नक्शा मौका स्थिती के विपरीत व पटवारी हल्का ने भी बिना मौके पर जाऐ अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। खाता विभाजन आदेश में कही भी नही लिखा कि इस खसरा ने 24/4 में अपीलाट व उतरवादीगण के रकबा पर राष्ट्रीय राज मार्ग पर अपीलाण्ट व उतरवादीगण के हिस्से मे आए रकबा की चौडाई कितनी है व लम्बाई कितनी है के बाबत भी शपथ पत्र खाता विभाजन आदेश मय नक्शा में कही भी दर्ज नही किया है इसलिए भी जैर अपील आदेश विधिक प्रकिया अपनाऐ बिना राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। उतरवादीगण ने जैर अपील आदेश में अपीलाट के साथ जालसाजी करके आज से करीब दो अढ़ाई साल पहले उक्त तमाम रकबा औधोगिक प्रयोजनार्थ परिर्वतन हेतू अपीलाट से खाली पेपरो व स्टाम्पो पर हस्ताक्षर करवाये थे व बाद में उतरवादीगण ने इन दस्तावेजो में अपीलाट को बिना बताये खाता विभाजन में उपयोग में लेकर जैर अपील आदेश जारी करवाया व इस खाता विभाजन के आदेश में अपीलाट को जैर प्रकरण रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग से चिपता 40 मीटर परिधी में जानबुझकर दिया ताकी अपीलांट अपने रकबा का ना तो संपरिर्वतन करवा सके व ना कोई निमार्ण कर सके व ना काश्त कर सके। अपीलांट के रकबा के दो टुकडे कर दिए है तथा अन्य सभी उतरवादीगण ने अपना रकबा पुरी लम्बाई में लिया है इस आदेश से सिर्फ अपीलाट को ऐसा रकबा दिया है जो संपरिर्वतन ना हो या वाणिज्यिक उधोग में ना ले सके व अन्य सह हिस्सेदारों ने ऐसा रकबा लिया है जो संपरिर्वतन हो सके चुकि उक्त रकबा अपीलाट व उतरवादीगण का सपरिर्वतन करवाने के लिए ही लिया हुआ है इसलिए उतरवादीगण ने अपीलाट जो कि सीधा साधा दुसरो पर भरोसा करने वाला इन्सान है इसलिए अपीलाट को धोखा में रखकर खाता विभाजन करवा लिया है इसलिए फैसला मातहत् विधी विरूध होने से निरस्ती योग्य है। इस खसरों के रकबा में से राष्ट्रीय राजमार्ग चलता है व राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम इस खसरा में रकबा ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो मौका पर अरसा दराज से चालू है परन्तु इस खसरा न. 24/5 में राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम कितना रकबा दर्ज है के बाबत भी कोई रिपोर्ट नही ली गई है इस खसरा में से चालू राष्ट्रीय राजमार्ग के नमा रकबा दर्ज किए बगैर ही खाता विभाजन आदेश जारी कर दिया है जो पूर्णतया विधी विपरीत है इसलिए भी फैसला मातहत् लायक निरस्ती के है। जैर अपील आदेश की पालना मौके पर आज तक नही हुई है मौके पर आज भी रकबा सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा राजस्व नक्शा में भी रकबा इन आदेशों की पालना में तरमीम नही है। इसलिए भी फैसला मातहत् न्यायालय निरस्ती योग्य है व अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपील[illegible] निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर श्रीमान तहसीलदार [illegible] निर्णय दिनांक 22.05.2017 को निरस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

3. सर्वप्रथम धारा 5 मियाद [illegible] वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रार्थी अपने हिस्से के रकबा पर ऋण लेने के लिए जमाबन्दी की नकल जाने के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 24.06.2019 को गया। जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जमाबन्दी देखी तो उसमें जैर अपील आदेश का अमलदरामद देखा तो खाता विभाजन अपीलाट अपने सह काश्तकार से मिला व उनसे इस पर बातचीत की तो अप्रार्थी न. 1 ने

अतिरिक्त जिला ... सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

बताया कि उन्होने तो प्रार्थी को बिना बताऐ ही खाता विभाजन करवा लिया है इस पर अप्रार्थी ने कि जो पूर्व में रकबा संपरिवर्तन करवाने के लिए प्रार्थी से जो खाली पेपरो व खाली स्टाम्प पर साईन करवाये थे उन हस्ताक्षरों का उपयोग खाता विभाजन हेतू उसे बिना बताये ले लिय है व खाता विभाजन करवा लिया है। अब प्रार्थी जो मर्जी करें हमारा तो खाता विभाजन हो चुका है तथा वो लोग खाता विभाजन में प्राप्त कीमती रकबा का अतिशीघ्र बैचान करेगे। इस पर प्रार्थी को उक्त खाता विभाजन आदेश के प्रथम बार जानकारी दिनांक 24.06.2019 को हुई थी व जानकारी होते ही बिना किसी देरी के प्रार्थी ने नकल प्राप्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल मिलते ही बिना किसी देरी के यह अपील पेश कि जा रही फैसले कि जानकारी से अन्दर मियाद है। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि खाता विभाजन सहमति के आधार पर तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रस्तुत होकर किया गया था अपीलांट का यह कहना कि उन्हे जानकारी नहीं है सरासर गलत है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई चूंकि अपील का निस्तारण तकनीकी आधार पर न करके गुणावगुण के आधार पर किया जाना है अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

5. तत्पश्चात गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने कथन किया कि यह है कि अदालत मातहत तहसीलदार (भू. अभिलेख) सुरतगढ का निर्णय दिनांक 22.05.2017 खिलाफ कानून, खिलाफ रिकॉर्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। अपीलांट व उतरवादी न. 1 ता 5 के नाम से रोही उदयपुर सादानी के खसरा न. 24/5 के 4.915 हैक. बारानी रकबा जिसमें अपीलांट के नाम से 0.506 हैक. व उतरवादी न. 1 के नाम से 0.506 हैक. उतरवादी न. 2 के नाम से .253 हैक. उतरवादी न. 3 के नाम से .759 हैक. व उतरवादी न. 4 आशारानी के नाम से .614 हैक. व उतरवादी न. 5 के नाम से 2.277 हैक. रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा है। जो मौका पर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो और स्थित है। अपीलांट को खाता विभाजन के नक्शा की सही जानकारी दिये बिना अपीलाण्ट के खाली पेपरों पर हस्ताक्षर करवाकर जैर अपील आदेश पारित करवाया है। जैर अपील आदेश में खाता विभाजन का नक्शा व खाता विभाजन का शपथ पत्र अपीलांट की उपस्थिती में कतई तैयार नही हुआ है खाता विभाजन का नक्शा में अपीलाट को दिये जाने वाले रकबा का रंग रकबा में दुसरा भरा है व रगों के संकेत में रंग दुसरा भरा है ताकी अपीलाट को सही जानकारी ना हो इस खाता विभाजन आदेश में जहां अपीलाट का कब्जा मौका स्थिती से विपरीत दिखाया है, अपीलांट का कब्जा मौका पर रेलवे लाईन से लेकर राष्ट्रीय राज मार्ग तक एक जैसी चौडाई में आयाताकार है जबकि जैर अपील आदेश में अपीलाट का रकबा दक्षिणी दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग से चिपता खसरा न. 24/4 के पश्चिम में दिखाया है जबकि अपीलांट का तमाम रकबा इस रोही के खसरा न. 24/1 के सामने आयाताकार है इसलिए मातहत् न्यायालय का खाता विभाजन का निर्णय मौका स्थिती से भिन्न होने से लायक निरस्ती के है। अपीलांट आदेश का नक्शा मौका स्थिती के विपरीत व पटवारी हल्का ने भी बिना मौके पर जाऐ अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। खाता विभाजन आदेश में कही भी नही लिखा कि इस खसरा ने 24/4 में अपीलाट व उतरवादीगण के रकबा पर राष्ट्रीय राज मार्ग पर अपीलाण्ट [illegible] के [illegible] आए रकबा की चौडाई कितनी है व लम्बाई कितनी है के बाबत भी शपथ पत्र [illegible] विभाजन आदेश मय नक्शा में कही भी दर्ज नही किया है इसलिए भी [illegible] अपील आदेश विधिक [illegible] अपनाऐ बिना राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत [illegible] है। उतरवादीगण ने जैर अपील आदेश में अपीलाट [illegible] आज से करीब दो अढाई साल पहले उक्त तमाम रकबा औधोगिक प्रयोजनार्थ परिर्वतन हेतू अपीलाट से खाली पेपरो व स्टाम्पो पर हस्ताक्षर करवाये थे व बाद में उतरवादीगण ने इन दस्तावेजो में अपीलाट को बिना बताये खाता विभाजन में उपयोग में लेकर जैर अपील आदेश जारी करवाया व इस खाता विभाजन के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला-श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला क... सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

में अपीलाट को जैर प्रकरण रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग से चिपता 40 मीटर परिधी में जानबुझकर दिया ताकी अपीलांट अपने रकबा का ना तो संपरिर्वतन करवा सके व ना कोई निमार्ण कर सके व ना काश्त कर सके। अपीलांट के रकबा के दो टुकडे कर दिए है तथा अन्य सभी उतरवादीगण ने अपना रकबा पुरी लम्बाई में लिया है इस आदेश से सिर्फ अपीलाट को ऐसा रकबा दिया है जो संपरिर्वतन ना हो या वाणिज्यिक उघोग में ना ले सके व अन्य सह हिस्सेदारों ने ऐसा रकबा लिया है जो संपरिर्वतन हो सके चुकि उक्त रकबा अपीलाट व उतरवादीगण का सपरिर्वतन करवाने के लिए ही लिया हुआ है इसलिए उतरवादीगण ने अपीलाट जो कि सीधा साधा दुसरो पर भरोसा करने वाला इन्सान है इसलिए अपीलाट को धोखा में रखकर खाता विभाजन करवा लिया है इसलिए फैसला मातहत् विधी विरूध होने से निरस्ती योग्य है। इस खसरों के रकबा में से राष्ट्रीय राजमार्ग चलता है व राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम इस खसरा में रकबा ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो मौका पर अरसा दराज से चालू है परन्तु इस खसरा न. 24/5 में राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम कितना रकबा दर्ज है के बाबत भी कोई रिपोर्ट नही ली गई है इस खसरा में से चालू राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम रकबा दर्ज किए बगैर ही खाता विभाजन आदेश जारी कर दिया है जो पूर्णतया विधी विपरीत है इसलिए भी फैसला मातहत् लायक निरस्ती के है। जैर अपील आदेश की पालना मौके पर आज तक नही हुई है मौके पर आज भी रकबा सभी सहखातेदार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा राजस्व नक्शा में भी रकबा इन आदेशों की पालना में तरमीम नही है। अपीलांट अपने हिस्से के रकबा पर ऋण लेने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 24.06.2019 को गया। जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जमाबन्दी देखी तो उसमें जैर अपील आदेश का अमलदरामद देखा तो खाता विभाजन अपीलाट अपने सह काश्तकार से मिला व उनसे इस पर बात चीत की तो उतरवादी न. 1 ने बताया कि उन्होने तो अपीलांट को बिना बताऐ ही खाता विभाजन करवा लिया है इस पर उतरवादीगण ने जो पूर्व में रकबा संपरिर्वन करवाने के लिए अपीलाट से जो खाली पेपरो व खाली स्टाम्प पर साईन करवाये थे उन हस्ताक्षरों का उपयोग खाता विभाजन हेतू उसे बिना बताये ले लिय है व खाता विभाजन करवा लिया है। अब अपीलाट जो मर्जी करें हमारा तो खाता विभाजन हो चुका है तथा वो लोग खाता विभाजन में प्राप्त किमती रकबा का अतिशीघ्र बैचान करेगे। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर श्रीमान तहसीलदार (भु.अ.) सुरतगढ का निर्णय दिनांक 22.05.2017 को निरस्त किया जावें।

6. वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 ग्राम पंचायत उदयपुर गोदारान में दिनांक 22.05.2017 को सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया था जिस पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा पटवारी हल्का के मौका जांच रिपोर्ट ली गई थी, पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत सहमतिपत्र, शपथपत्र के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अलग–अलग रंगों में भूमि का विवरण दर्शाया गया था। अपीलांट का यह कहना की उसे धोखे में रखकर गलत हस्ताक्षर करवा लिए यह कतई सिद्ध होने लायक नहीं है क्योंकि तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष उपस्थित सभी खातेदारान द्वारा सहमति से खाता विभाजन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अतः अपील अपीलांट निराधार होने से निरस्ती योग्य है तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 22.05.2017 को यथावत रखा [illegible] सीपीसी धारा 96(3), नकल सिविल टाइम्स 2010 पेज न0 462 सुप्रीमकोर्ट, न्याय [illegible] सिविल टाइम्स 2012(2) पेज न0 668 सुप्रीम कोर्ट, न्याय निर्णय डीएनजी 2022(3) [illegible] न0 904 सुप्रीम कोर्ट, न्याय निर्णय डीएनजी 2024(2) राज0 हाईकोर्ट [illegible] हरियाणा हाईकोर्ट टाइटल राम करण बनाम गुगन दिनांक [illegible] प्रस्तुत की है जो शामिल पत्रावली है।

राजपैरोकार ने कथन किया कि दिनांक 22.05.2017 को सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर खाता विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

पटवारी हल्का के मौका जांच रिपोर्ट ली गई थी, पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत सहमतिपत्र, शपथपत्र के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अलग–अलग रंगों में भूमि का विवरण दर्शाया गया था। सहमति के आधार पर ही अपीलाधनी निर्णय पारित किया गया था। अतः अपील अपीलांट निराधार होने से निरस्ती योग्य है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.05.2017 को यथावत रखा जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित रकबा रोही उदयपुर सादानी के ख.न. 24/5 का है जो मौका पर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो और स्थित है परंतु राजस्व रिकार्ड से यह कतई साबित नही है कि राष्ट्रीय राजमार्गके पूर्वी पासा में कितना रकबा है तथा पश्चिमी पासा में कितना रकबा है। दोनो भागो के कोई अलग मिन नम्बर राजस्व नक्शा में अंकित नहीं है तथा अपीलांट व उत्तरवादी गण को राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि कितने फीट/मीटर चौडाई व कितने फीट/मीटर लम्बाई में दी गई है कोई अंकित नहीं किया तथा खाता विभाजन से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करके रकबा की सही पैमाईश करके रकबा में जाकर नक्शा तैयार कर अलग–अलग रंग भरें हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली मे मौजूद नहीं है खाता विभाजन के नक्शा से यह साबित है कि खसरा नम्बर 24/5 के रकबा में से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम कितना रकबा दर्ज हो चुका है ऐसा साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश में अपीलांट को राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्वी दिशा में दक्षिणी पासा में राष्ट्रीय राजमार्ग के चिपता कम लम्बाई वाला रकबा ही दिया है। जबकि अन्य उत्तरवादी गण ने राष्ट्रीय राजमार्ग के चिपता खूब लम्बाई में रकबा लिया है परंतु खाता विभाजन आदेश में कहीं भी लम्बाई चौड़ाई अंकित नही है कि जिससे पक्षकारान को अपने रकबा की सही पहचान नही होती है। उक्त प्रकरण में पक्षकारगण की आपसी समझौते पर अपीलांट की सहमति सदभावना पूर्व एवं स्वतंत्रतापूर्वक नही ली गयी है। आपसी समझौते में सहमति, छल कपट के बिना प्राप्त होनी चाहिए। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे इस पर लागू नहीं होते है क्योंकि आपसी समझौते पर अपीलांट की सहमति सदभावना पूर्व एवं स्वतंत्रतापूर्वक नही ली गयी है। आपसी समझौते में सहमति, छल कपट के बिना प्राप्त होनी चाहिए।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.5.2017 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटाया जावे। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 3/6/17

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner